श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल (म.प्र) ग्वालियर, कैम्प इन्दौर

निगरानी – 9182 – PBR – 16

श्री श्रीकृष्ण शर्मा पिता स्व. श्री शिवनारायण शर्मा मृतक तर्फे वारिसान

(1) श्री प्रहलाद पिता स्व. श्री श्रीकृष्ण शर्मा

(2) श्री सुरेश पिता स्व. श्री श्रीकृष्ण शर्मा

(3) श्री मदन पिता स्व. श्री श्रीकृष्ण शर्मा

(4) श्री जगदीश पिता स्व. श्री श्रीकृष्ण शर्मा

सभी निवासी : 158 चन्द्रनगर, छोटी खजरानी, इन्दौर ---प्रार्थी / याचिकाकर्ता

विरूध्द

(1) म.प्र शासन द्वारा कलेक्टर, इन्दौर
कार्यालय : कलेक्टर कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर

(2) म.प्र शासन द्वारा तहसीलदार, श्री राजकुमार हलधर इन्दौर
कार्यालय : तहसील इन्दौर, कलेक्टर कार्यालय ,मोतीतबेला, इन्दौर

(3) अधिक्षक भू–अभिलेख श्री अनील बनवारिया
कार्यालय : कलेक्टर कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर

(4) राजस्व निरीक्षक –श्री कुबेर सिह भदौरिया
कार्यालय : कलेक्टर कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर

(5) राजस्व निरीक्षक –श्री राजेश सरवटे
कार्यालय : कलेक्टर कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर -- अनावेदक / रेस्पॉन्डेन्ट

न्यायालय अवमानना याचिका (कन्टेम ऑफ कोर्ट)

अवमानना याचिका – धारा 2 (2) एवं धारा 12 (3) न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत

कलेक्टर महोदय, इन्दौर द्वारा दिनांक **23 / 06 / 2014** को न्यायालयीन आदेश के बगैर प्रेषित पत्र क्रमांक **1397 / भू–अभिलेख / सीमांकन / 2014** के अनुरूप की गई अवैधानिक

... 2 पर

कार्यवाही जो कि माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक **240 / चार / 97** में पारित आदेश दिनांक **15 / 06 / 1998** की अवमानना (कन्टेम ऑफ कोर्ट) से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर प्रार्थी के द्वारा यह अवमानना याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है। :–

(1) यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर द्वारा पारित आदेश के विरूध्द प्रार्थी के द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष एक निगरानी प्रकरण कमांक **276 / 96–97** प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दिनांक **19 / 08 / 1997** को आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा विधि पंजीबध्द की जाकर अंतिम सुनवाई हेतु गृाहय किया जाकर गुणदोषो पर सुनवाई हेतु प्रतिप्रार्थी को आहूत किया जाकर अभिलेख आहुत किया गया।

(2) यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को सुनने के पश्चात् प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में दिनांक **15 / 06 / 1998** को अंतिम आदेश पारित कियां जाकर, अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश रद्द (अपास्त) किया जाकर, अनुविभागीय महोदय इन्दौर द्वारा पारित जांच आदेश उचित नहीं होने से उसे भी रद्द (अपास्त) किया जाकर प्रार्थी को भूमी स्वामी मानते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कि जाकर प्रार्थी के पक्ष में अंतिम आदेश पारित किया गया।

(3) यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक **15 / 06 / 1998** को पारित आदेश के पालन में सीमांकन करने के उपरांत फिल्ड बुक अनुसार प्रथम बार बटांकन कर सर्वे कमांक 363 / 1 एवं 364 / 1 की भूमी पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर प्रार्थी की ऋण पुस्तिका बनायी गयी जाकर अमल किया गया।

(4) यह कि, प्रार्थी की प्रश्नाधीन भूमी के संबंध में अपर तहसीलदार द्वारा स्वमेव कार्यवाही करते हुये धारा 248 म.प्र .भू–राजस्व संहिता के तहत् अतिकामक बताते हुये प्रकरण कमांक **72 / अ–3 / 98–99** पंजीबद्ध कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक **24 / 09 / 1999** को आदेश पारित किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक **15 / 06 / 1998** के पश्चात् किए गए प्रथम बटांकन को संशोधित कर दिया गया। उक्त आदेश को प्रार्थी द्वारा चुनौती देते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई।

... 3 पर

M.K. Sharma

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9182–पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2016	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र दिनांक 23–6–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं कर तहसीलदार तहसील इंदौर को पत्र लिखा गया है, जो संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत विधिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, अतः प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है । फलस्वरूप यह विविध प्रकरण आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	